बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17/विविध 1 –51/2018 पटना, दिनांक :–

डा0 नन्द कुमार सिंह, सह–प्राध्यापक, हड्डी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना सुंदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर, बटहा में प्राचार्य पद के विवाद में हुए मारपीट के आरोप में दिनांक–17.07.2018 से कारागार में निरूद्ध थे।

2. विभागीय आदेश सं०–585(17) दिनांक–27.08.2018 द्वारा डा0 सिंह को कारागार में निरूद्ध होने की तिथि से निलंबित किया गया।

3. डा0 सिंह द्वारा दिनांक–10.08.2018 को जमानत पर रिहा होकर दिनांक–11.08.2018 के पूर्वाह्न से योगदान दिया गया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3)(i) में निहित प्रावधानों के तहत डा0 सिंह द्वारा दिए गए योगदान की तिथि–11.08.2018 के प्रभाव से योगदान को स्वीकृत किया जाता है।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत् डा0 सिंह को पुनः दिनांक–11.08.2018 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि में डा० सिंह का मुख्यालय श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, होगा।

7. निलंबन अवधि में डा० सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

6. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 17/विविध 1 –51/2018 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 17/विविध 1 –51/2018 - 146(17) पटना, दिनांक :– 25/2/19

प्रतिलिपि :– प्राचार्य एवं अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना /डा0 नन्द कुमार सिंह, सह–प्राध्यापक, हड्डी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(कौशल किशोर) के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/02/19

सरकार के अवर सचिव।